सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 20, शुक्रवार, शाके 1944-जून 10, 2022
Jyaistha 20, Friday , Saka 1944- June 10, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र - एम

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 01, 2022

संख्या प॰ 2 (3) वन/2022 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पतियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी संपूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,।

और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अंतर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त भूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परंतु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकरों को क्षति पहुंचने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (2), 12, 13,14,17,18 एवं 19 में प्रवाहित है।

और इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पडेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार या भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकडी कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

1. अनुसूची (वनभूमि एवं बंजर भूमि की सूची)
2. अनुसूची (वनखण्ड में पेड प्रजातियों की सूची)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी. प्रवीण,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची (वनभूमि एवं बंजर भूमि की सूची)

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा न	क्षेत्रफल	भूमि किस्म
1	नर्सरी आहोर	आहोर	जालोर	उत्तर	ख॰न॰ 1005	आहोर	1530/1005	0.25	गै॰मु॰
				दक्षिण	ख॰न॰ 1009				
				पश्चिम	ख॰न॰ 1006 व 1007				
				पूर्व	ख॰न॰ 979 राज्य राजमार्ग – 64				
							Total-1	**0.25**	

(पुराराम)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक
जालोर

द्वितीय अनुसूची (वनखण्ड में पेड प्रजातियों की सूची)

प्रस्तावित वनखण्ड में आने वाली वनस्पतियों के वानस्पतिक नामों की सूची

क्र.सं.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
2	Azadircta indica	नीम
3	Salvedorapersica	जाल
4	Eucaliptes	निलगिरी

(पुराराम)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक
जालोर

प्रमाण पत्र

वनखण्ड - नर्सरी आहोर
रेंज - जालोर
वनमंडल - जालोर

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में राजकीय वन विभाग जंगलात के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर वन विभाग द्वारा वानिकीय विकास कार्य करवाये गये है तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमल दरामद है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधिन है। प्रस्तावित भूमि में प्रथम दृष्टया कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधिन है, जिन पर वानिकीय विकास कार्य किये गये है एवं भविष्य में किये जाने की सम्भावना है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.1 से 0.5 तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य विलायती बबूल, नीम, जाल, निलगिरी प्रजातियों के पेड एवं झाडिया है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यो में उपयोग हो रहा है।
6. प्रस्तावित भूमियो का मानचित्र संलग्न है।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8. इस वनभूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(पुराराम)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
जालोर

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
उप वन संरक्षक
जालोर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।